

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समस्यार भाग - 2

॥ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी ॥  
शुक्रवार, 12 मई, 2000 / बैशाख 22, 1922 ॥शक॥

संख्या : 91

सदस्यों की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, पूर्वी जिला, दिल्ली का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ :

"मुझे आपको सतम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री नसीब सिंह एवं श्री मतीन अहमद को दिनांक 10.05.2000 को अपराह्न 3.30 बजे दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत पुलिस के विधि-सम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण गाजीपुर गाँव में नज़रबंद किया गया।

उन्हें वहीं से, उसी दिन अर्थात् दिनांक 10.05.2000 को सायं 06.00 बजे रिहा कर दिया गया।"

रत. के. शर्मा  
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT  
BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)  
Friday 12th May, 2000 / Baisakh 22, 1922 (Saka)

No. 91

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from Additional Deputy Commissioner of Police, East District, Delhi : -

"I have the honour to inform you that Shri Nasib Singh and Shri Matin Ahmed, Hon'ble Members of Legislative Assembly Delhi were detained under section 65 of Delhi Police Act for disobeying the lawful directions of Police at Village Gazipur at 1530 hours on 10.5.2000."

They were released at 1800 hours from the same place on the same day i.e. 10.5.2000."

S.K. SHARMA  
SECRETARY